### ACTION HISTORY OF RTI REQUEST No.VPSEC/R/P/25/00019

**Applicant Name** Shri Radhey Shyam

**Text of Application** The RTI reply sent to the applicant.

**Reply of Application** The RTI reply sent to the applicant.

| SN. | Action Taken | Date of Action | Action Taken By | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RTI REQUEST RECEIVED | 17/04/2025 | Sunita Xess - (SCPIO) | |
| 2 | REQUEST DISPOSED OF | 17/04/2025 | Sarita Chauhan- (CPIO) | |

Print

SPEED POST

21/4/25

भारत के उप -राष्ट्रपति का सचिवालय

SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA

नई दिल्ली -110001 (भारत)

NEW DELHI – 110001 (INDIA)

**फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/70/2025-2026** **17 अप्रैल, 2025**

सेवा में,

श्री राधे श्याम
म.न.-281/518ए, अमीर नगर,
मोतीनगर, थाना-नाका हिंडोला
लखनऊ-4

**विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।**

महोदय,

उक्त विषय में आपका दिनांक 12.03.2025 का पत्र जो इस सचिवालय में 18.03.2025 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ 10 रूपये का नोट संख्या 84जी 282614 संलग्न कर आपके उक्त आवेदन पर की गई कार्रवाही की जानकारी चाही है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है किया जाता है कि आपका ~~का~~ आवेदन **इस सचिवालय से संबधित नहीं था**। जिसे फाइल कर दिया गया है तथा जिसकी कोई पावती नहीं दी जाती।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।

सरिता

(सरिता चौहान)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में,

श्रीमान् जनसूचना अधिकारी
सचिव (उपराष्ट्रपति)
भारत नई दिल्ली।

Vice President's Secretariat New Delhi
512
18/3/25

**विषयः–जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–6(1) के तहत सूचना प्राप्त कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आवेदक को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर प्रदान करवाने का कष्ट करें।

आवेदक द्वारा दिनांक 09.12.2024 को डाक के द्वारा प्रेषित पत्र जो कि माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जनपद लखनऊ को सम्बोधित था।

1. क्या उक्त प्रेषित पत्र दिनांकित 09.12.2024 जिसका संलग्नक–1 है का निस्तारण किया गया है। यदि हॉ तो निस्तारित आख्या की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करवाये।
2. क्यों निस्तारित नहीं किया गया इसका स्पष्टीकरण प्रदान करवाये।
3. प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंम्बर सहित प्रदान करवायें।
4. क्या दिनांकित 09.12.2024 को प्रेषित पत्र संलग्नक सं0–1 में वर्णित तथ्यों के आधार पर कोटेदार गुलाब चन्द्र (06/वाई0एच0जी0) के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है, यदि हॉ तो नियम सहित विवरण प्रदान करवाने का कष्ट करें।

जनसूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क रू0 10/– का भारतीय मुद्रा क्रमांक सं0–84G 282614 मूलरूप से संलग्न किया जाता है। शुल्क यदि अपर्याप्त है तो आवेदक भुगतान करने हेतु वचनवद्ध है।

लखनऊ
दिनांकः 12-3-2025

राधेश्याम
प्रार्थी
(राधे श्याम)
पुत्र स्व0 जुगुल किशोर
नि0–म0नं0–281/518ए, अमीर नगर,
मोतीनगर, थाना–नाका हिण्डोला
लखनऊ–4, मो0नं0–9335264966

संलग्नक–1
दिनांकित–9-12-2024
को प्रेषित पत्र

संलग्नक – 1

Wt:35oms,REG=17.0
Amt:31.86,Tax:9.86,Amt.Paid:32.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

RU156873903IN IVR:8285156873903
RL SPEED POST BOOKING COUNTER LUCKNOW RMS <226004>
Counter No:2,09/12/2024,19:52
To:JAGDEEP DHANK,VICE PRESIDENT
PIN:110001, New Delhi GPO
From:RADHESHYAM,281/518A

सेवा में

**माननीय जगदीप धनकड़**
उपराष्ट्रापति
भारत, नई दिल्ली–110001

महोदय,

भ्रष्टाचारी सरकारों के अन्तर्गत नियमित भ्रष्टाचारी मानसिकता वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के आचरण के बारे में लिखने के लिए विवश हूँ मूझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे द्वारा प्रेषित पत्र में लिखित शिकायतों का अवश्य ही समाधान करवायेगें भ्रष्टाचारियों से सवाल–जवाब लिया जाना नितान्त आवश्यक है जो कि एक जॉच का विषय भी है।

हमारी शिकायत जिलापूर्ति अधिकारी लखनऊ उ0प्र0 तथा उससे सम्बन्धित कार्यालय यहियागंज वार्ड–लखनऊ से सम्बन्धित है।

कोटेदार गुलाब चन्द्र (6/yHG) पुत्र स्व0 भृगुराम निवासी अमीर थाना–नाका हिण्डोला लखनऊ की पत्रावली में वितरण हेतु निर्धारित चौहद्दी में कटिंग है जिसका संलग्नक संख्या–01 है।

उक्त कटिंग चौहद्दी से सम्बन्धित कोटेदार द्वारा रद्दो–बदल हेतु कोई प्रार्थना पत्र विभाग में नहीं दिया गया था। कटिंग वाली चौहद्दी का प्रपत्र विभाग में कोटेदार गुलाब चन्द्र (6/yHG) पुत्र स्व0 भृगुराम ने भौतिक परिवर्तन हेतु दर्ज करवाया है जिससे विभाग की सहायता से प्रार्थी द्वारा किराये पर दी गयी सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति घोषित कर सके।

विभाग में दर्ज कटिंग चौहद्दी के पूरब दिशा में बंदा अली का नाम दर्ज करवाया है जो कि फुटकर मिट्टी तेल बिक्री हेतु जारी लाइसेंस दिनांक 31.12.1977 को आवंटित चौहद्दी के अन्तर्गत है।

प्रार्थीगणों ने बंदा अली पुत्र स्व0 रहमान अली को दिनांक 28.01.1988 को रजिस्ट्री के माध्यम से कब्जा दिया था जिसका संलग्नक संख्या–02 है। विभाग में पत्रावली में दर्ज चौहद्दी को सूक्ष्मता से अवलोकित करने पर लिखावट तथा स्याही के कलर/रंग (हल्का/गाढ़ा) में अन्तर प्रतीत होता है।

लिखावट की जॉच हैंडराईटिंग एक्सपर्ट से तथा स्याही के कलर की जॉच फोरेसिंक लैब से करवाकर संलिप्त विभागीय अधिकारी, कर्मचारी को दण्डित करने की कृपा करें। कटिंग चौहद्दी वाला प्रपत्र विभागीय पत्रावली में शामिल करवाने के कारण का स्पष्टीकरण भी प्राप्त करने की कृपा करें।

पुनः से विभाग की पत्रावली में 11 (ग्यारह) वर्ष पूर्व बन्दा अली का नाम किस आधार पर और क्यों दर्ज हुआ है। विभागीय पत्रावली में कटिंग वाला पत्र कैसे शामिल हुआ था इस प्रश्नों का उत्तर जिलापूर्ति अधिकारी से लिया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है।

आप द्वारा की गई न्यायोचित कार्यवाही की प्रतीक्षा में।

लखनऊ
दिनांक : 06.12.2024

आपका
राधेश्याम
(राधेश्याम)
281/518ए, अमीर
मोती नगर, लखनऊ
मो0नं0–9335264966